## <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-340/04

संस्थित दिनांक-29.07.2004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

## विरुद्ध

- 1. साहब सिंह पुत्र चतुर सिंह उम्र 37 साल निवासी ग्राम टोडा
- 2. बडेराजा उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह बुन्देला उम्र 36 साल निवासी ग्राम बारी
- 3. लाखन पुत्र रग्गे कुशवाहा उम्र 47 साल निवासी ग्राम बारी
- 4. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मन कुशवाह उम्र 30 साल निवासी ग्राम जमूसर सभी निवासीगण तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र० ......अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 24.04.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 384, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक—28.05.04 को ग्राम शंकरपुर राजघाट के जलाशय के पास रात्रि 05:30 बजे लोक स्थान पर फरियादी कान्ता को मां —बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा कान्ता व उसके साथियों को भय में डालकर सामान्य आशय के अग्रसरण में से 200/— रूपये शराब पीने व मछली, खाने के परिदत्त करने के लिये बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित कर उन्हें जान से मारने की धमकदी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—28.05.04 को शामं के करीब 05:30 बजे फरियादी अपने भाई गंगाराम के साथ राजघाट डेम भराव क्षेत्र में ग्राम शंकर पुर के सामने अपनी दो नावों में पूर्व से लगे पानी मे जालों में फंसी मछलिया निकाल रहा थे, कि बारी के बड़े राजा बुन्देला, लाखन काछी, साहब सिंह एवं ओमप्रकाश कुशवाह लाठियां और कट्टे लेकर आये और बोले मादर चोद कमीनों हम तुमें मछलियों का शिकार नहीं करने

(2)

देंगे। अगर तुम हमें शराब पीने के लिये 200 / – रूपये तथा मछलिया खाने के लिये दो तो हमें तुझे शिकार करने देंगे। फरियादी ने उनसे कहा कि इसके संबंध में ठेकेदार से बात करने का कहा तो चारों ने फरियादी व उसके साथियों को भी मां बहन की गालियां देने लगे एवं लाठी और कट्टों से मारने को आमदा हो गये। फरियादी व उसके साथीओं द्वारा उनकी नावं व जाल तथा पकडी हुई मछिलया छोडकर वहा से भागने लगे तो अभियुक्तगण कहने लगे की मादरचोद आज तो बच गये आईन्दा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारां अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी में रिपोर्ट डी 1 लेखबद्ध कराई गयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-212/04 अंतर्गत धारा–294, 384, 506 बी भा0द0वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तूत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—17.02.17 को फरियादी कांता, गंगाराम, रामसिह एवं दिनांक 18.04.17 को मनोहर और किशन ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत पृथक पृथक आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को उक्त राजीनामें के आधार पर भा०द०वि० की धारा-294, 506बीं के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा–384 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.05.04 को ग्राम शंकरपुर राजघाट के जलाशय के पास रात्रि 05:30 बजे कान्ता व उसके साथियों को भय में डालकर सामान्य आशय के अग्रसरण में से 200/— रूपये शराब पीने व मछली, खाने के परिदत्त करने के लिये बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित कर उद्दापन्न किया ?
  - दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— कान्ता (अ0सा0—2) प्रकरण में फरियादी है, तथा इसी व्यक्ति के द्वारा अभियोजन के अनुसार प्रदर्श डी 1 की रिपोर्ट भी लेखबद्ध करायी गई। कान्ता (अ०सा०-2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह घटना के समय मछली पकड़ने काम राजघाट डेम पर करता था, परन्तू इस साक्षी कहना है कि अभियुक्तगण से उसका कोई विवाद नहीं हुआ तथा इस साक्षी के अनुसार मछली पकडने पर से अभियुक्तगण का ठेके दार से कुछ विवाद हो गया था, जो उसके सामने

नहीं हुआ था। इस साक्षी का कहना है कि जब वह शाम को लौटकर आया तो ठेकेदार ने विवाद होने के बारे में बताया था तथा ठेकेदार ने ही थाने पर रिपोर्ट करके उसके हस्ताक्षर करा लिये थे और चूंकि वह ठेकेदार के साथ काम करता था, इसलिए उसने हस्ताक्षर भी कर दिये थे।

- 07— कान्ता (अ०सा0—) जो कि अभियोजन घटना का मुख्य साक्षी है, अपने साथ हुई घटना से ही अपने न्यायालीन कथनों में इन्कार करता है तथा अपने साथ कोई घटना घटित न होना बताता है। घटना के अन्य साक्षी गंगाराम (अ०सा0—3), रामिसंह (अ०सा0—4), किशन (अ०सा0—5) व मनोहर सिह (अ०सा0—6) जिन्हें अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका परीक्षण कराया गया है। इनमें साक्षी गंगाराम (अ०सा0—3) फिरयादी कान्ता (अ०सा0—2) का भाई है, गंगाराम (अ०सा0—3) व रामिसह (अ०सा0—4) ने अपने कथनों में यह तो स्वीकार किया है कि वह मछली पकड़ने का काम करते थे परन्तु इन दोना ही साक्षियों सिहत अन्य साक्षी किशन (अ०सा0—5) व मनोहर (अ०सा0—6) ने अपने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा इन साक्षियों का यह भी कहना है कि उन्होने पुलिस को इस संबंध में कोई कथन तक नहीं दिये।
- 08— प्रकरण में फरियादी कान्ता (अ०सा०—2) सिहत अभियोजन घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी सिक्षियों को अभियोजन के समर्थन में कथन न देने के कारण उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है, अभियोजन द्वारा किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बाद भी फरियादी सिहत किसी भी सिक्षी ने अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। फरियादी कान्ता (अ०सा०—2) अपने न्यायालीन कथनों में संपूर्ण विवाद अभियुक्तगण का ठेकेदार से होना बताता है तथा साथ इस सिक्षी का यह भी कहना है कि उक्त विवाद भी उसके सामने नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य सिक्षी जो कि अभियोजन कहानी क अनुसार घटना के प्रत्यक्ष दर्शी सिक्षी है घटना की जानकारी होने से ही इंकार करते है।
- 09— फरियादी कान्ता (अ0सा0—2) सिहत अन्य सभी साक्षी गंगाराम (अ0सा0—3) व रामिसह (अ0सा0—4), किशन (अ0सा0—5) व मनोहर (अ0सा0—6) ने अपने कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को उनसे प्रतिदिन शराब पीने के लिये दो सौ रूपये और खाने के लिये मछलियां देने पर ही शिकार करने देने की धमकी दी थी। इन सभी साक्षियों ने इस संबंध में पुलिस को कोई कथन देने से अपने कथनो में इन्कार किया है तथा फरियादी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी 1 में उल्लेखित घटना अपने साथ होने से इंकार करता है। अतः ऐसे में अभियुक्तगण ने वास्तव में फरियादी कान्ता (अ0सा0—1) सिहत किसी को भी साक्षी को मछलिया पकडने के दौरान उन्हें भय में डालकर प्रतिदिन 200/— रूपये और खाने के लिये मछलियां देने की मांग की थी। यह फरियादी सिहत साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध कथन देने से साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है।
- 10— प्रकरण में सभी साक्षियों के द्वारा पक्षविरोधी होने के बाद मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ0सा0—1) की साक्ष्य शेष बचती है। इस साक्षी के द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी सिहत सभी साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाने के संबंध में कथन दिये हैं परन्तु फरियादी सिहत सभी साक्षियों ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों में विपरीत न्यायालय में यह कथन दिये है कि उन्होंने रामदास (अ0सा0—1) को घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं।

- 11— प्रकरण में विवेचना के दौरान लिये गये धारा 161 द०प्र०स० के कथन का उपयोग मात्र न्यायालय में दिये गये कथनों का खण्डन करने या लोप के संबंध में धारा 145 साक्ष्य अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। परन्तु धारा 161 द०प्र०स० के कथन घटना को साबित करने के लिये स्वयं ही निश्चायक प्रमाण नहीं होता है। घटना की साबित करने के लिये न्यायालय के समक्ष उक्त कथनों में बतायी घटना को साबित करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत कि जाना अनिवार्य है। जिसका अभाव इस प्रकरण में देखा जा सकता है। फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियाजन घटना के समर्थन में कोई कथन नही दिये जिससे प्रदर्श डी 1 में उल्लेखित घटना को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन के पास अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि संभवतः पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामें का परीणाम भी हो सकती है।
- 12— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक-28.05.04 को ग्राम शंकरपुर राजघाट के जलाशय के पास रात्रि 05:30 बजे कान्ता व उसके साथियों को भय में डालकर सामान्य आशय के अग्रसरण में से 200 / — रूपये शराब पीने व मछली, खाने के परिदत्त करने के लिये बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित कर उद्दापन्न किया।
- 13- फलस्वरूप अभियुक्तगण साहब सिंह पुत्र चतुर सिंह, बडेराजा उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह बुन्देला, लाखन पुत्र रग्गे कुशवाह, ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मन कुशवाह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा—384 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण साहब सिंह पुत्र चतुर सिंह, बडेराजा उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह बुन्देला, लाखन पुत्र रग्गे कुशवाह, ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मन कुशवाह को भाठदं०वि० की धारा–384 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14- अभियुक्तगण साहब सिंह पुत्र चतुर सिंह, बडेराजा उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह बुन्देला, लाखन पुत्र रग्गे कुशवाह, ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मन कुशवाह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशूदा सम्पत्ति कुछ नही.है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)